

परिशिष्ट-दो
प्रपत्र-2
कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बी0)/4664-69 /मान्यता/2014-15 दिनांक :
सेवा में,

15/06/2015
मई, 2015

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
डी0पी0एस0जी0चकराता रोड़ नियर फार्मा सीटी सेलाकुई
देहरादून।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय डी0पी0एस0जी0चकराता रोड़ नियर फार्मा सीटी सेलाकुई देहरादून को कक्षा प्री- प्रोडमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों दिनांक 25.05.2015 से 24.05.2020 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार के व्यक्तित्व अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विरतारित अर्थात् के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की सम्पारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविष्ट शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
(आठ) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-मतिविधि (द्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा--
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;

(एस. ११११)
मुख्य शिक्षा अधिकारी

Munna
Principal
DPSG DEHRADUN
Chakrata Road, Near Pharmacy,
Solaqui, Dehradun-249011

Attended

- कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्षा;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
 - पेयजल की सुविधा,
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियाँ हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवांन्धत सासाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट क द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाक में उपयुक्त लेखा विवरणों तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणों को एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 25 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर भौग गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निगंत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 18. यदि सासाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है ता उस सुनिश्चित किया जाए।
 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तों।
 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
 21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता पाय नप के लिए प्रदान की गयी है उचित अवधि समाप्त होने से पाँच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

नोट :- वर्ष-2015 में टी0ई0टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

महाराष्ट्र
(एन सी खाली)
15.06.15
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

पू0सं0/शिविर(मा0)/15-क/ /मान्यता/2014-15 संशुद्धि/क।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा भेजे गए सूचना के अनुसार।
5. सम्बन्धित स्वयं शिक्षा अधिनियम के द्वारा आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

15.06.15
(एन सी खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

Principal

DPSG DEHRADUN

Chakrata Road, Near Pharmacy
Solaqui, Dehradun-243011

Attested



DPSG
DEHRADUN
An Initiative of Dehi Public School Ghaziabad Society

C.B.S.E Affiliation No : 3530472
School Code : 81695

प्रपत्र-1

विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011
के नियम-17 के उपनियम (2) को देखें

(स्थान) : सेलाकुई

दिनांक : 15 फरबरी 2020

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जनपद-देहरादून
उत्तराखण्ड।

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मानदण्डों के आलोक में, मैं एक स्वघोषणा करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में डी0पी0एस0जी0 देहरादून, चक्रता रोड, नियर फार्मा सीटी, सेलाकुई, देहरादून. (विद्यालय का नाम एवं पता) की मान्यता का नवीकरण हेतु आवेदन दौ प्रतियां प्रेषित कर जा रही हूँ।

स्थान : सेलाकुई

दिनांक : 15 फरबरी 2020

Attested

Manu
Principal
DPSG DEHRADUN

Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-243011

भवदीय,

Manu
रुबी कुमार

प्राधानाध्यापक


व्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

संलग्नकों का विवरण :

(i) Application for RTE Renewal

- (ii) Copy of Challan of Rs 50,000/- (deposited at the time of Recognition of the School)
- (iii) Trust Deed The Gurukul Trust
- (iv) Land Lease Deed
- (v) School Building Drawing
- (vi) List of Teaching Material
- (vii) List of Sports items
- (viii) List of Magazine and news papers
- (ix) List of Laboratory equipment
- (x) List of furniture
- (xi) List of teachers
- (xii) Fee Structure
- (xiii) Copy of Recognition of School
- (xiv) Certificates:-
 - (aa) Building safety
 - (ab) Hygiene and sanitation
 - (ac) Safe Drinking water
 - (ad) Fire Fighting Arrangement

Attested



Principal

DPSG DEHRADUN

Chakrata Road, Near Pharmacy
Solequi, Dehradun-249011